* ओ३म् *

श्रीमती आर्य्यप्रतिनिधिसभा संयुक्तप्रान्त

आगरा व अवधके ।

४

नियम

जो ५ जनवरी सन् १८९७ को ऐक्ट २१ सन् १८६०

द्वारा रजिस्टर्ड होचुकी है ।

और

बृहदधिवेशन सन् १९०८ ई०में जो फर्रुखाबादनगरमें

हुआ था स्वीकार हुये ।

श्री० बा० रामदीनजी उपमन्त्री सभाकी

आज्ञानुसार

बाबूरामशर्माके प्रबन्धसे आर्य्यभास्कर यन्त्रालय आगरामें मुद्रित हुए ।

आर्य्यसमाजके नियम।

१-सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जानेजाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है।

२ ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है उसीकी उपासना करनी योग्य है।

३-वेद सत्यविद्याओंका पुस्तक है वेदका पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, और सुनाना सब आर्य्योंका परमधर्म है।

४-सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड़नेमें सर्वदा उद्यत रहना चाहिये।

५-सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहियें।

६-संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।

७-सब से प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य वर्त्तना चाहिये।

८-अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये।

९-प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्तु सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये।

१०-सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।

॥ ओ३म् ॥

श्रीमती आर्य्यप्रतिनिधिसभा संयुक्तप्रान्त आगरा व अवधके।

* नियम *

जो ५ जनवरी सन् १८९७ ई०को ऐक्ट २१ सन् १८६० द्वारा रजिस्टर्ड हो चुकी है।

प्रथम परिच्छेद।

॥ नाम ॥

(१) संयुक्तप्रान्त आगरा व अवधदेशस्थ आर्य्यसमाजोंके प्रतिनिधियों से बनी हुई एक सभा "आर्य्यप्रतिनिधिसभा संयुक्तप्रान्त के नाम से स्थिर रहेगी।

द्वितीय परिच्छेद।

॥ उद्देश्य ॥

(२) सभा के उद्देश्य निम्न हैं—

(१) वेद वेदाङ्ग तथा प्राचीन संस्कृत के पढ़ाने, तथा आर्य्योपदेशक बनाने के लिये विद्यालय स्थापन करना।

इस स्थान पर "वेदाङ्ग" शब्द में प्रत्येक प्रकार की विद्या सांसारिक हो अथवा पारमार्थिक, मानसिक हो अथवा व्यावहारिक, भी सम्मिलित हैं चाहे वह किसी भाषा में हो।

(२) सर्वसाधारण के उपकारार्थ धर्म्म और पदार्थविद्या सम्बन्धी तथा अन्य पुस्तकों का एक पुस्तकालय नियत करना।

(३) छोटी बड़ी पुस्तकें वैदिकशिक्षा के प्रचारार्थ प्रकाशित करना।

(४) संयुक्तप्रान्त आगरा व अवध तथा अन्य स्थानों में उपदेश करना और कराना ।

(५) अनाथ और दीनों के पालन, पोषण, शिक्षा और सुधार के लिये उपयुक्त प्रबन्ध करना ।

(६) सामान्यप्रकार से वैदिकधर्म्म के प्रचारार्थ उपयुक्त उपायों को काम में लाना ।

तृतीय परिच्छेद ।

निर्माण व्यवस्था

(३) प्रत्येक आर्य्यसमाज को अधिकार होगा कि वह अपनी ओर से निम्नलिखित नियमानुसार प्रतिनिधि नियत कर सके, परन्तु प्रत्येक प्रतिनिधिसभासद् को सभा के नियम, उपनियमों में भलीभांति अभिज्ञ होना आवश्यक है ।

नियम—९ आर्य्यसभासदों से २५ आर्य्य सभासदों तक १ प्रतिनिधि, उसके पश्चात् प्रति २५ अथवा २५ के खण्ड पर १ प्रतिनिधि लिया जावें ।

नोट—इस नियम में आर्य्यसभासदों से वह सभ्य गिने जायंगे।

(अ) जिन का नाम आर्य्यसमाज के रजिस्टर में प्रतिनिधि होने की तिथिसे पूर्व कमसे कम एक वर्ष निरन्तर अङ्कित रहा हो चाहे वह समय कई समाजों की सभासदी से पूरा हो ।

(क) और जिन्होंने अपना चन्दा आर्य्यसमाज के उपनियम संख्या ४ के अनुसार कमसे कम ११ मास का दे दिया हो। परन्तु इस का सम्बन्ध उस आर्य्यसभासद् से नहीं है जिसे कि चन्दा देने से क्षमा किया गया हो ।

(४) प्रत्येक प्रतिनिधि का निर्वाचन आर्य्यसभासद् अधिकांश सम्मति से करेंगे परन्तु कोई व्यक्ति प्रतिनिधि स्वीकार न किया जावेगा यदि वह अपने निर्वाचन कर्त्ता आर्य्यसमाज का आर्य्यसभासद् नहीं है ।

❋ अधिकारी ❋

(५) (क) इस सभामें ४ अधिकारी स्थायी रहेंगे अर्थात् प्रधान, मन्त्री, कोषाध्यक्ष तथा पुस्तकाध्यक्ष और उक्त अधिकारियों के सहायक उपाधिकारी कार्य्यकी न्यूनाधिकतानुसार निर्वाचित अथवा सभासे नियत वा प्रच्युत होते रहेंगे ।

वैतनिक उपाधिकारी के नियत अथवा प्रच्युत करनेका काम अन्तरङ्गसभा करेगी परन्तु प्रतिनिधिसभा पूर्वसे निर्धारित कर देगी कि कौन उपाधिकारी वैतनिक उपाधिकारी के होने की दशामें उस के लिये प्रतिनिधि होने का नियम शिथिल हो सकता है परन्तु उस के लिये किसी आर्य्यसमाज का आर्य्यसभासद् होना आवश्यक होगा ।

नोट—प्रत्येक निर्वाचित उपाधिकारी, अधिकारी की अनुपस्थितिमें उस अधिकारी का स्थानापन्न समझा जायगा ।

(ख) अधिकारियों के कर्त्तव्य—

प्रधान ।

(१) प्रधान अन्तरङ्ग सभा तथा प्रतिनिधिसभा के सब अधिवेशनों का सभापति समझा जावेगा ।

(२) सदैव सभा के सब कामों का यथावत् प्रबन्ध करने "तथा" सर्वदा सभा की उन्नति और रक्षा में तत्पर रहेगा और सभा के सब कामों पर दृष्टि रक्खेगा कि वे नियमानुसार किये जाते हैं वा नहीं और आप स्वयम् नियमोंका प्रतिपालन करेगा ।

(३) यदि कोई क्लिष्ट और आवश्यक कार्य्य जान पड़े तो उस का यथोचित प्रबन्ध उसी समय करेगा और उसके बिगड़ने में स्वयम् उत्तरदाता होगा ।

मन्त्री ।

(१) कार्य्यालय के सम्बन्ध में सर्व कार्य्यों का ज़िम्मेदार होना तथा अन्तरङ्गसभा की आज्ञानुसार प्रतिनिधिसभा की ओर से सब के साथ पत्रव्यवहार करना और प्रतिनिधिसभा के सम्पूर्ण पत्रादिकों को यथोचित सुरक्षित रखना।

(२) प्रतिनिधिसभा के अधिवेशनों के कार्य्यविवरण को लिखना और उस को सभा के कार्य्यविवरणपुस्तक (प्रोसीडिङ्गज़बुक में) लिखना वा लिखवाना तथा उन को छपाकर सब समाजों और सभा के अधिकारियों को भेजना ।

(३) सभा के भृत्योंपर दृष्टि रखना और सभा के नियमोपनियम का पालन करना ।

(४) इस विषयपर ध्यान रखना कि प्रत्येक समाजने अपना प्रतिनिधि भेजा है या नहीं ।

(५) प्रत्येक आर्य्यसमाज से उसका वार्षिक वृत्तान्त मंगाना ।

कोषाध्यक्ष ।

(१) सभा की सम्पूर्ण आय को लेना और उस की रसीद देना तथा उस को यथावत् सुरक्षित रखना ।

(२) किसी को अन्तरङ्गसभाकी आज्ञा विना द्रव्य न देना प्रत्युत मन्त्री और प्रधान को भी उस परिमाण से अधिक न देना जिसे कि अन्तरङ्गसभा ने नियत कर दिया है । और जिस अधिकारी के द्वारा जो व्यय होगा उस का उत्तरदाता वही होगा ।

(३) सब आय, व्ययका ठीक २ हिसाब रखना और तीन मास के पश्चात् जांच पड़ताल और स्वीकारी के लिये अन्तरङ्गसभा में प्रविष्ट करना ।

पुस्तकाध्यक्ष ।

(१) पुस्तकालय में जो पुस्तकें सभा की स्थिर वा विक्रयार्थ विद्यमान हों उन की रक्षा करना और पुस्तकालय सम्बन्धी हिसाब, किताब रखना ।

(२) ट्रैक्ट इत्यादि पुस्तकों के मुद्रित और प्रकाशित करने का प्रबन्ध रखना ।

(६) सभा के प्रतिनिधिसभासदों का निर्वाचन ३ वर्ष के और अवैतनिक अधिकारियों तथा अन्तरङ्गसभासदों का १ वर्ष के लिये हुआ करेगा ।

(७) निम्नलिखित दशाओं में किसी सभासद् का स्थान रिक्त समझा जाया करेगा ।

(१) मृत्यु

(२) विक्षिप्त होजाना

(३) पद परित्याग करना

(४) आर्य्यसभासद् न रहना

(५) ऐसे अपराध में दण्ड पाना जिस के कारण से वह सभा की सम्मति में सभासद् रहने के योग्य न रहे ।

(६) निर्वाचन कर्त्ता समाज की ओर से पृथक् किया जाना । प्रत्येक ऐसी दशा में उस आर्य्यसमाज को जिस ने कि वहिर्गत सभासद् को नियत किया था अधिकार होगा कि उस के स्थान पर नूतन प्रतिनिधि नियत करे ।

(८) प्रत्येक आर्य्यसमाज, जिस को प्रतिनिधिसभा में अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है मन्त्री सभा की सेवा में एक चित्र (नक्शा) उन आर्य्यसभासदों का जो उसके रजिस्टर में वर्ष भर अङ्कित रहे हैं प्रतिनिधिवर्ष समाप्त होजाने पर १५ दिवस के भीतर भेजेगा ।

चित्र (नक़शा)

संख्या	नाम	पिता का नाम	जीविका	यदि मासिक चन्दा देता है तो कितना	यदि वार्षिक चंदा देता है तो कितना	चन्दा जो वर्षके भीतर प्रत्येक ने दिया हो	विशेष

नकूशे के नीचे प्रधान, मन्त्री तथा कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।

और उन आर्य्यसभासदों के विषय में जो नियमित चन्दा नहीं देते हैं एक दूसरा नकूशा भेजा जावेगा जिस में कि वह विशेष हेतु लिखे जावेंगे जिनके कारण वे उपनियम सं० ४ के टिप्पणी ३ के अनुसार चन्दा देने से क्षमा (माफ़) किये गये हैं।

(९) प्रत्येक आर्य्यसमाज जो आर्य्य प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित होना चाहता हो तथा जिस को स्थापित हुए न्यून से न्यून एक वर्ष होगया हो एक आवेदनपत्र निम्न लिखित आकृति (फ़ार्म) के अनुसार प्रेषित करेगा और आवेदनपत्र के साथ एक सूची नियम ८ के अनुसार भेजेगा; वह आवेदनपत्र अन्तरङ्गसभा में प्रविष्ट किया जावेगा और उस पर विचार होकर स्वीकार वा अस्वीकार किया जावेगा।

(१०) प्रत्येक ऐसे आर्य्यसमाज को जिस के प्रवेशनार्थ आवेदनपत्र को अन्तरङ्गसभा ने अस्वीकार किया है अथवा जिस को अन्तरङ्ग सभा ने पृथक् कर दिया है अधिकार होगा कि वर्ष के भीतर सभा के वार्षिक अधिवेशन में अपील करे और इस के लिये उस को, सभा के मन्त्री के पास, सभा के वार्षिक अधिवेशन के विज्ञापन काल से उचित समय पहले केवल अपील का हेतु-पत्र जिस को उक्त समाज ने पास किया है, अन्य सम्बन्धित पत्रादि सहित, यदि हों भेजना होगा।

दाख़िले का फ़ार्म।

(अ) नाम आर्य्यसमाज पूरा पता सहित।

(क) समाज स्थापित होने की तिथि।

(ख) आर्य्य सभासदों की संख्या जो प्रार्थना (दरख़ास्त) भेजने के समय समाज के रजिस्टर में लिखी हो।

(ग) प्रतिनिधि का नाम जिस या जिन को समाज ने अपनी ओर से प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित होने के लिये निर्वाचित किया हो।

(घ) समाज के सामयिक अधिकारियों के नाम।

(च) समाज की ओर से इस बात की प्रतिज्ञा कि वह सभा के नियमोपनियम तथा आज्ञाओं के विरुद्ध अपने यहां कोई कार्य्यवाही न होने देगा।

(छ) हस्ताक्षर प्रधान तथा मन्त्री।

(११) एक नियत स्थान पर जिसको सभा अपने साधारण अधिवेशन में नियत करेगी सभा के अधिवेशन हुआ करेंगे और उसी स्थान पर सभा के समस्त वे कार्य्यालय जिन का कार्य्य चल सकना वहां सम्भव होगा रहा करेंगे परन्तु सभा को अधिकार होगा कि आवश्यकतानुसार दूसरे स्थान पर अधिवेशन करे। उस नियत स्थान का निर्णय सभा स्वयम् करेगी।

(१२) प्रत्येक आर्य्यसमाज अपने मासिक चन्दे का दशांश दिया करेगा और उक्त दशांश सभा के प्रत्येक वर्ष के प्रथम दिवस को प्राप्तव्य होगा परन्तु किसी समाजके दशांशकी संख्या ५) रुपये वार्षिकसे न्यून होनेकी दशा में भी उक्त समाज को ५) रुपया वार्षिक दशांश सभा को देना होगा।

(१३) सिवाय उस दशाके जब कि अन्तरङ्गसभा किन्हीं विशेष हेतुओं से जिन को कि वह प्रकट करेगी किसी ऋणी समाज के विषय में विरुद्ध निश्चय करे साधारणतया जिस वर्ष सभा का दशांश किसी समाज के मत्थे शेष रह जावेगा उस वर्ष उस समाज के प्रतिनिधि वा प्रतिनिधियों को सभाके अधिवेशन में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

(१४) निम्न अवस्थाओं में समाज सभा से पृथक् कर दिये जावेंगे:—

(क) किसी समाज के ज़िम्मे तीन वर्ष के दशांश के शेष रहने तथा अन्तरङ्ग सभाके १५ दिवस के नोटिस देने पर भी

उक्त समाजके दशांश को न प्राप्त होने और न अन्तरङ्ग सभा के निकट सन्तोष-दायक उत्तर आने पर ।

(ख) सभाके नियमोपनियम तथा आज्ञाओं के विरुद्ध कार्य्य करने पर ।

चतुर्थ परिच्छेद

अधिवेशन ।

(१५) आर्य्य प्रतिनिधि सभा के दो प्रकार के अधिवेशन होंगे एक साधारण और दूसरा नैमित्तिक ।

(१६) सभा का साधारण अधिवेशन वर्षमें एक बार निम्न लिखित प्रयोजनार्थ हुआ करेगा ।

(अ) अधिकारियों और अन्तरङ्गसभासदों के निर्वाचनके लिये ।

(क) वार्षिक रिपोर्ट सुनने के लिये ।

(ख) आगामी वर्षके लिये आनुमानिक लेखा (बजट) बनाने के लिये ।

(ग) * विज्ञापित विषयों पर विचार और निर्णय के लिये ।

(घ) अन्तरङ्ग सभा के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिये सब काम साधारण अधिवेशन से निर्णय होंगे परन्तु नियमोंका न्यूनाधिक करना तथा अन्य ऐसे विषय जिन को कि अन्तरङ्ग सभा नैमित्तिक अधिवेशन में प्रविष्ट होने योग्य समझे नैमित्तिक अधिवेशन से निश्चय हुआ करेंगे ।

(१७) लेख द्वारा वा प्रतिपुरुष (प्राक्सी) द्वारा सम्मति स्वीकार न की जायगी ।

(१८) सम्पूर्ण विषय अधिकांश सम्मति से निश्चय होंगे परन्तु समान होनेपर कास्टिङ्ग वोट से निर्णय होगा ।

(१९) सम्पूर्ण साधारण अधिवेशनों की कार्य्यवाही सभासदोंकी चतुर्थांश संख्या के उपस्थित होने पर तथा सम्पूर्ण नैमित्तिक अधिवेशनों की कार्य्यवाही उनकी तृतीयांश संख्या होने पर आरम्भ की जावेगी ।

* विज्ञापनमें केवल वही विषय जाया करेंगे जिनको कि अन्तरङ्गसभा ने स्वीकार कर लिया है परन्तु नियम धारा १६ (घ) के अनुसार अपील के लिये स्वीकारीकी आवश्यकता नहीं है ।

॥ पञ्चम परिच्छेद ॥

अन्तरङ्ग सभा ।

(२०) प्रतिनिधि सभा अपने सभासदों में से चुन कर अन्तरङ्ग सभा बनावेगी जिसके सभासदोंकी संख्या २० होगी ।

(२१) सभाके अधिकारी अन्तरङ्ग सभा के भी अधिकारी होंगे ।

(२२) निम्नलिखित विषयों के अतिरिक्त अन्य सब विषय अन्तरङ्ग सभा निर्धारित करेगी ।

(क) धारा (१६) में लिखे विषय ।

(ख) वे कार्य्य जो धारा २ में वर्णित उद्देश्यों के बढ़ाये जाने, परिवर्तन किये जाने, वा न्यून किये जाने वा परिच्छेद किये जाने वा प्रतिपालन किये जानेके सम्बन्ध में हों ।

(ग) ऐसा कार्य्य जिस पर आर्य्य समाजों की सम्मति मांगी गई हो और आधे से अधिक समाजोंने अन्तरङ्ग सभा की निश्चित सम्मति के विरुद्ध सम्मति दी हो ।

सब उपरोक्त विषय अन्तरङ्ग सभा की सम्मत्यनुसार श्रीमती आर्य्यप्रतिनिधि सभा के साधारण वा नैमित्तिक अधिवेशन से निर्धारित होंगे ।

(२३) अन्तरङ्ग सभा को अधिकार होगा कि किसी विशेष कार्य्य के निमित्त अपने सभासदों अथवा अन्य योग्य आर्य्य सभासदों में से उप सभा बनावे परन्तु उन सभ्योंकी संख्या जो प्रतिनिधि सभासद नहीं हैं समस्त सभासदों की संख्या के तृतीयांश से अधिक न होगी ।

(२४) अन्तरङ्ग सभा अपने व्यावहारिक नियम स्वयं बनावेगी परन्तु सभा को अधिकार होगा कि उन नियमों में न्यूनाधिकता करसके ।

॥ षष्ठम परिच्छेद ॥

स्फुटिक ।

(२५) इन नियमोंमें शब्द "आर्य्यसमाज" वा "आर्य्यसभासद्" से वही अर्थ समझा जावेगा जो कि आर्य्यसमाज के उपनियमों में वर्णन किया गया है ।

(२६) इस सभाको अधिकार होगा कि आर्य्यावर्त्तकी अन्य प्रतिनिधि सभाओं से मिलकर एक सार्वदेशिक सभा नियत करे।

(२७) अन्तरङ्ग सभा को अधिकार होगा कि स्वयम् अथवा समाजों वा प्रतिनिधियों के आवेदन पत्र पर किसी ज़िले के प्रतिनिधि सभासदों की ज़िला-उपसभा अथवा किसी कमिश्नरी के प्रतिनिधिसभासदों की "उपप्रान्तिक सभा" अथवा ज़िला-उपसभा और उप-प्रान्तिक सभा दोनों बनाकर उनके लिये उन्हीं में से अपेक्षित अधिकारी नियत करदे ऐसी उप सभाओं के अधिकार तथा कर्त्तव्यों के विधान के लिये अन्तरङ्ग विशेष नियमोपनियम जो सभा के नियमों से विरुद्ध न हों निर्धारित करेगी।

(२८) सम्पूर्ण अभियोग जो सभा की ओर से अन्यों पर तथा अन्योंके सभा पर होंगे तथा अन्य क़ानूनी कार्य्यवाही जैसे मुख़्तार ख़ास का नियत करना इत्यादि सभा के प्रधान के नाम से हुआ करेगी।

(२९) सभा के हिसाबनिरीक्षणार्थ न्यून से न्यून एक आडीटर प्रतिवर्ष नियत किया जावेगा जिस का किसी आर्य्य समाज का आर्य्य सभासद् होना आवश्यक है।

(३०) वर्ष के भीतर किसी अधिकारी अथवा उपाधिकारी का स्थान रिक्त होने पर अन्तरङ्ग सभा उस की पूर्त्ति कर सकती है।

(३१) प्रतिनिधि सभासद्के अतिरिक्त अन्य कोई इस सभामें सम्मति देने का अधिकारी न होगा तथा सभा का वैतनिक उपाधिकारी अथवा भृत्य किसी ऐसे विषय पर सम्मति देने का अधिकारी न होगा जो उसी के सम्बन्ध में हो।

(३२) सभा के धन का अधिकार सभा की साधारण स्वीकारी तथा अधिकार के वशीभूत, अन्तरङ्ग सभा को रहेगा।

(३३) सभा किसी दशामें ऋण न लेगी।

(३४) सभा को अधिकार होगा कि इन नियमोंको प्रथम विज्ञापन देकर घटा बढ़ा वा परिवर्त्तन करलेवे परन्तु यह अधिकार केवल उस समय उपयोग में लाया जावेगा जब कि दो तिहाई ($\frac{२}{३}$) सभासद् अधिवेशन में उपस्थित हों।

* इति *

वेदोक्त धर्म ।

संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥१॥ ऋ०अ० ८ अ० ८ व० ४९ मं० २॥

भावार्थ—अब वेदोंकी रीति से धर्म के लक्षणों का वर्णन किया जाता है, (संगच्छध्वं) देखो परमेश्वर हम सभों के लिये धर्म का उपदेश करता है कि हे मनुष्य लोगो! जो पक्षपात रहित न्याय सत्याचरण से युक्त धर्म है तुम लोग उसी को ग्रहण करो उस से विपरीत कभी मत चलो किन्तु उसी की प्राप्ति के लिये विरोधको छोड़ के परस्पर सम्मति में रहो जिस से तुम्हारा उत्तम सुख सब दिन बढ़ता जाय और किसी प्रकार का दुःख न हो (संवदध्वं०) तुम लोग विरुद्धवाद को छोड़के परस्पर अर्थात् आपस में प्रीति के साथ पढ़ना, पढ़ाना प्रश्न उत्तर सहित संवाद करो जिस से तुम्हारी सत्यविद्या नित्य बढ़ती रहे (संवोमनांसि जानताम्) तुम लोग अपने यथार्थ ज्ञान को नित्य बढ़ाते रहो जिस से तुम्हारा मन प्रकाशयुक्त हो कर पुरुषार्थ को नित्य बढ़ावे जिस से तुम लोग ज्ञानी हो के नित्य आनन्द में बने रहो और तुम लोगों को धर्म का ही सेवन करना चाहिये अधर्म का नहीं (देवा भागं य०) जैसे पक्षपात रहित धर्मात्मा विद्वान् लोग वेद रीति से सत्य धर्म का आचरण करते हैं उसी प्रकार से तुम भी करो क्योंकि धर्म का ज्ञान तीन प्रकार से होता है एक तो धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, दूसरा आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा और तीसरा परमेश्वर की कही वेद विद्या को जानने से ही मनुष्यों को सत्य असत्य का यथावत् बोध होता है अन्यथा नहीं॥१॥

समानोमन्त्रःसमितिःसमानी समानं मनःसहचित्तमेषाम् ॥ समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ २ ॥ ऋ०अ०८अ०८ व० ४९ । मं० ३ ॥

(समानो मंत्रः) हे मनुष्य लोगो ! जो तुम्हारा मन्त्र अर्थात् सत्य असत्य का विचार है वह समान हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध न

हो और जब २ तुम लोग मिल के विचार करो तब २ सब के वचनों को
अलग २ सुन के जो २ धर्मयुक्त और जिस में सब का हित हो सो २ सब में
से अलग कर के उसीका प्रचार करो जिस से तुम सभों का बराबर सुख
बढ़ता जाय (समितिः समानी) और जिस में सब मनुष्यों का मान, ज्ञान
विद्याभ्यास, ब्रह्मचर्य आदि आश्रम, अच्छे २ काम, उत्तम मनुष्योंकी
सभा से राज्य के प्रबन्धका यथावत् करना, और जिस से बुद्धि, शरीर, बल,
पराक्रम आदि गुण बढ़ें तथा परमार्थ और व्यवहार शुद्ध हो ऐसी जो
उत्तम मर्यादा है सो भी तुम लोगों की एक ही प्रकार की हो जिस से
तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जायं (समानं मनः सहचित्तं) हे म-
नुष्य लोगो ! तुम्हारा मन भी आपस में विरोधरहित अर्थात् सब प्राणियों
के दुःखके नाश और सुख की वृद्धि के लिये अपने आत्मा के सम तुल्य
पुरुषार्थवाला हो शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा को संकल्प और दुष्ट
गुणों के त्याग की इच्छा को विकल्प कहते हैं जिस से जीवात्मा ये दोनों
कर्म करता है उस का नाम मन है उस से सदा पुरुषार्थ करो जिस से तु-
म्हारा धर्म सदा दृढ़ और अविरुद्ध हो तथा चित्त उस को कहने हैं
कि जिस से सब अर्थों का स्मरण अर्थात् पूर्वापर कर्मों का यथावत् वि-
चार हो वह भी तुम्हारा एकता हो (सह) जो तुम्हारा मन और चित्त
हैं ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिये प्रयत्न में रहैं (एषां०) इस
प्रकार से जो मनुष्य सब का उपकार करने और सुख देने वाले हैं मैं उन्हीं
पर सदा कृपा करता हूं (समानं मंत्रमभिमंत्रये वः) अर्थात् मैं उनके लिये
आशीर्वाद और आज्ञा देता हूं कि सब मनुष्य मेरी इस आज्ञा के अनुकूल
चलें जिस से उन का सत्य धर्म बढ़े और असत्य का नाश हो (समानेन वो
हविषा जुहोमि) हे मनुष्य लोगो ! जब २ कोई पदार्थ किसी को दिया
चाहो अथवा किसी से ग्रहण किया चाहो तब २ धर्म से युक्त ही करो उस से
विरुद्ध व्यवहार को मत करो और यह बात निश्चय कर के जानलो कि मैं
सबके साथ तुम्हारा और तुम्हारे साथ सत्य का संयोग करता हूं इस लिये
कि तुम लोग इसी को धर्म मानके सदा करते रहो और इस से भिन्न को धर्म
कभी मत मानो ॥ २ ॥

समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः ॥ समान-
मस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ऋ० अ० ८ अ० ८ व०
४९ मं० ४ ॥

भावार्थ—(समानीव आकूतिः) ईश्वर इस मन्त्रका प्रयोजन कहता
है कि हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा जितना सामर्थ्य है उस को धर्म के साथ
मिला के सब सुखों को सब दिन बढ़ाते रहो निश्चय उत्साह और
धर्मात्माओं के आचरण को आकूति कहते हैं हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा
सब पुरुषार्थ सब जीवों के सुख के लिये सदा हो जिस से मेरे कहे
धर्म का कभी त्याग न हो और सदा वैसा ही प्रयत्न करते रहो कि
जिस से (समाना हृदयानि वः) तुम्हारे हृदय अर्थात् मन के
सब व्यवहार आपस में सदा प्रेम सहित और विरोध से अलग रहें
(समानमस्तु वो मनः) मनः शब्दका अनेक बार ग्रहण करने में यह
प्रयोजन है कि जिस से मन के अनेक अर्थ जाने जायं (कामः) प्रथम
विचार ही करके सब उत्तम व्यवहारों का आचरण करना और बुरों
को छोड़ देना इसका नाम काम है (संकल्पः) जो सुख विद्यादि शुभ
गुणोंको प्राप्त होने के लिये प्रयत्न से अत्यन्त पुरुषार्थ करने की इच्छा
है उस को संकल्प कहते हैं (विचिकित्सा) जो २ काम करना हो उस २
को प्रथम शंका कर कर के ठीक निश्चय करने के लिये जो संदेह करना
है उस का नाम विचिकित्सा है (श्रद्धा) जो ईश्वर और सत्यधर्म आदि
शुभ गुणों में निश्चय विश्वास को स्थिर रखना है उस को श्रद्धा
जानना (अश्रद्धा) अर्थात् अविद्या कुतर्क बुरे काम करने, ईश्वर को
नहीं मानना और अन्याय आदि अशुभ गुणों से सब प्रकार से अलग रहने
का नाम अश्रद्धा समझना चाहिये (धृतिः) जो सुख दुःख हानि लाभ
आदि के होने में भी अपने धीरज को नहीं छोड़ना उस का नाम धृति है
अधृति) बुरे कामों में दृढ़ न होने को अधृति कहते हैं (ह्रीः) अर्थात्
जो झूठे आचरण करने और सच्चे कामों को नहीं करने में मन को लज्जित
करना है उस को ह्री कहते हैं (धीः) जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण
करने वाली वृत्ति है उस को भी कहते हैं (भीः) जो ईश्वर की आज्ञा

अर्थात् सत्याचरण धर्म करना और उस से उलटे पाप के आचरण से नित्य डरते रहना अर्थात् ईश्वर हमारे सब कामों को सब प्रकार से देखता है ऐसा जान कर उस से सदा डरना कि जो मैं पाप करूंगा तो ईश्वर मुझ पर अप्रसन्न होगा इत्यादि गुण वाली वस्तु का नाम मन है इस को सब प्रकार से सब के सुख के लिये युक्त करो (यथा वः सुसहासति) हे मनुष्य लोगो ! जिस प्रकार अर्थात् पूर्वोक्त धर्मसेवन से तुम लोगों को उत्तम सुखों की बढ़ती हो और जिस श्रेष्ठ सहाय से आपस में एक से दूसरे को सुख बढ़े ऐसा काम सब दिन करते रहो किसी को दुःखी देख के अपने मनमें सुख मत मानों किन्तु सबको सुखी कर के अपने आत्मा को सुखी जानों जिस प्रकार से स्वाधीन हो के सब लोग सदा सुखी रहें वैसा ही यत्न करते रहो ॥ ३ ॥

॥ इति ॥

रिपोर्ट

विधवा हितकारिणी सभा

बाबत सन् १९१० ई० ।

Printed by K. Hanumant Singh at the "Rajput Anglo-Oriental Press," Agra.

गोशवारा खर्च ।

विधवा हितकारिणी सभा (आर्य्यसमाज आगरा) बाबत सन् १९१० ई०

किस बाबत	तैदाद रक़म
१ वेतन चपरासी	६७॥=)।
२ पुस्तक सलेट, पट्टी, स्याही इत्यादि	१०।-)॥
३ इक्के का किराया जनवरी से अप्रैल तक	२६॥=)।
४ वेतन बुलाने वाली टहलनी	३३)
५ रसीद बही और रजिस्टर	८॥)
६ लोटा मटका झाड़ू आदि	२।-)
७ तनख़ाह रामदेवी अलीगढ़ वासी अध्यापिका	६।-)।
८ तनख़ाह चम्पी अध्यापिका (जून मास की)	७)
९ विधवाओं को वज़ीफ़े	२२)
१० छपाई अपील	४३।-)
११ डाक महसूल चिट्ठियों का	१॥)॥
१२ एक विधवा को भरतपुर तक का रेल का भाड़ा	।-)॥
१३ चार विधवाओं को भोजन आदि	११)
१४ वेतन वर्त्तमान अध्यापिका	११५।-)।
१५ सफर ख़र्च (रेलवे आदि) डेपूटेशन कानपुर तक जुलाई महीने का	६।=)
जोड़	३६१॥≡)

सभा की रजिस्टरी ।

आगरा आर्य्यसमाज की अन्तरंग सभा से इस सभा की रजिस्टरी कराना निश्चित हो चुका है आशा है कि मार्च के महीने में रजिस्टरी हो जायगी ।

* ओ३म् *

वार्षिक वृत्तान्त (रिपोर्ट) विधवाहितकारिणी सभा

(आर्यसमाज आगरा)

बाबत सन् १९१० ई०

दोहा—यद्यपि बहुत प्रकार के दुःखित जन जग मांहि ।
पै विधवन सम जगत् में दुखी दूसरी नाहिं ॥ १ ॥

निर्धन विधवाओं की अत्यन्त हीन दशा देख उन के उद्धारार्थ ता० ५ जून सन् १९०९ को आगरा आर्य्यसमाज ने एक विधवाहितकारिणी नाम की सभा स्थापित की और उस के निम्नलिखित तीन उद्देश्य नियत किये गये ।

(१) विधवाओं के निमित्त एक पृथक् पाठशाला नियत कर के उन्हें अध्यापिका का काम व दस्तकारी सिखानी और वैद्यक विद्या पढ़ा कर बालकों और स्त्रियों की चिकित्सा का अभ्यास व अनुभव कराना ।

(२) जो विधवा किसी प्रकार भी नहीं पढ़ सकतीं और महनत मज़दूरी के लिये बाहर भी नहीं निकलतीं उन के निमित्त कुछ (जैसा कि वे कर सकें) दस्तकारी के काम का प्रबन्ध घर बैठे करा देना ।

(३) जो विधवा सर्वथा निस्सहाय और निराश्रय हों उन के निमित्त विधवा आश्रम स्थापित करना और अन्न वस्त्रादि से पालन करते हुए वैद्यकादि विद्या पढ़ा कर उन्हें योग्य बनाना ।

सन् १९०९ में इस सभा ने जो कुछ किया था वह सब गत वार्षिकोत्सव पर आप लोगों के सम्मुख सुना दिया गया था। अब सन् १९१० ई० का वृत्तान्त इस प्रकार है ।

विधवा पाठशाला ।

इस सभा के प्रथम उद्देश्य के प्रथम भाग के अनुसार ता० ३१ दिसम्बर सन् १९०९ ई० को एक विधवा पाठशाला स्थापित की गई ।

अध्यापिका ।

पढ़ाने वालियों की कमी तो प्रत्यक्ष ही है विशेषतः सुयोग्य अध्यापिकाओं का मिलना दुस्साध्य होने से इस सभा को भी कठिनाइयों का सामना निश्चित ही था, परन्तु ईश्वर कृपा से आरम्भ में कुछ भी कष्ट नहीं हुआ अर्थात् सौभाग्यवश श्रीमती राधादेवी जी की प्रेरणा और अपने उदारभाव से श्रीमती सत्यवती देवी जी ने दो मास तक बिना वेतन लिये इस पाठशाला का काम करना स्वीकार किया और बड़ी योग्यता व सच्चे प्रेम से पाठशाला में पढ़ाती रहीं । इन्हीं दिनों (मार्च में) अलीगढ़ से एक अध्यापिका बुलाई गई जिस ने कुछ दिन श्रीमती सत्यवती जी के आधीन रह कर काम किया, परन्तु जब उस से काम चलता दृष्टि न आया तो पृथक् की गई ।

विघ्न ।

प्रथम तो श्रीमती सत्यवती जी को अपनी प्रतिज्ञा से भी अधिक लगभग साढ़े तीन महीने काम करते हुए हो गये थे द्वितीय अप्रैल मास में उक्त देवी जी को दर्द गुर्दे ने बहुत ही विकल कर दिया और बहुत ही अस्वस्थ हो गईं इधर अनेक यत्न करने पर भी दूसरी योग्य अध्यापिका न मिली तो पाठशाला की हानि सोच कर उक्त देवी जी आठ दिन तक रोग दशा में भी पाठशाला में पढ़ाती रहीं और अन्त में विवश होकर उन्हें पाठशाला छोड़नी पड़ी। उक्त देवी जी के पृथक् होने और उन के शारीरिक कष्ट को सुन कर इस सभा को बहुत शोक हुआ किन्तु इतने दिन तक अति कष्ट सहन कर सच्चे प्रेम से अवैतनिक काम किया और पाठशाला की जड़ जमादी अतः श्रीमती सत्यवती देवी जी का यह सभा धन्यवाद करती है । इस के पश्चात् जब बहुत खोज करने और अख़बारों में नोटिस छपवाने पर भी कोई योग्य अध्यापिका न मिली तो "यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः" फिर अनेक महाशयों ने यह भी कहा कि किसी वृद्ध पुरुष को अध्यापक नियत करके काम चलाओ परन्तु सभा ने अपनी इस पूर्व प्रतिज्ञानुसार (कि इस पाठशाला में पढ़ाने वाली सदैव स्त्री ही रहेंगी) वृद्ध पुरुष को भी अध्यापक नियत करना स्वीकार न किया और पाठशाला डेढ़ महीने (मई की समाप्ति) तक बन्द रही । फिर जून में एक साधारण अध्यापिका को रख कर दुबारा कार्य्यारम्भ किया गया और उस से एक ही सप्ताह पीछे सौभाग्यवश एक सुयोग्य कुलवती देवी अध्यापिका पद के लिये मिल गईं जोकि २०) मासिक वेतन पर अब तक काम कर रही हैं ।

पढ़ने वालियों का वर्णन ।

नवीन कार्य्य की प्रत्येक बात में कठिनाइयों का होना एक अटल सिद्धान्त है अर्थात् पढ़ने वालियों को एकत्र करने में भी अनेक प्रकार की आपत्तियों का सामना करना पड़ा प्रथम तो अभी स्त्री शिक्षा के विरोधियों की कमी नहीं और विधवाओं का तो किसी पाठशाला में जाकर पढ़ना इस प्रान्त में एक महान् आश्चर्य रूप कार्य समझा जाता है अतः निर्धनता वश अनेक प्रकार के दुःख भोगतीं हुईं और पढ़ने की इच्छा रखती हुई भी लोकापवाद से डर कर पाठशाला में आने से हिचकती हैं और कितनी विधवाएँ पाठशाला में आना भी चाहती हैं तो उन के कुटुम्बी जन पसन्द नहीं करते ।

सवारी की आवश्यकता ।

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना सवारी के अपने परिवार की विधवाओं को भेजना पसन्द नहीं करते । अथवा जिन के घर बहुत दूर २ पर हैं वे बिना सवारी के पाठशाला में नहीं आ सकतीं । साथ ही यह भी निवेदनीय है कि इस समय पाठशाला का ५०) मासिक व्यय है और आय २०) मासिक है । सवारी रक्खी जाय तो लगभग २५) मासिक व्यय और बढ़ेगा । ऐसी दशा में आप सब लोग यथोचित सहायता द्रव्य से करते रहें तो सब काम हो सकते हैं ।

वज़ीफ़े ।

इस सभा ने असमर्थ दीन विधवाओं को वज़ीफ़ों का देना आवश्यक समझ कर दो रु० मासिक वृत्ति देना भी स्वीकार किया है अत-

एवं सितम्बर महीने से बराबर मासिक वृत्ति दी जा रही हैं और दिसम्बर मास में सहायता पाने वाली ६ विधवाएँ थीं ।

पाठशाला के नाम का परिवर्त्तन ।

इस पाठशाला में विधवाओं के अतिरिक्त सौभाग्यवती भी पढ़ने के लिये आने लगीं हैं क्योंकि ज़रा बड़ी उम्र की भगिनियों को कन्याओं की पाठशाला में जाने से संकोच होता है और सौभाग्यवती बहिनों के लिये पाठशाला के नाम के साथ विधवा शब्द अशुभ सूचक है इसलिये इस पाठशाला का नाम बदल कर स्त्री-पाठशाला रक्खा गया ।

पुस्तकादि की सहायता ।

प्रत्येक पढ़ने वाली को (चाहे वह विधवा हो अथवा सधवा) पुस्तक, कागज़, क़लम, दवात, स्याही, स्लेटादि पढ़ने लिखने की सब सामग्री पाठशाला से बिना मूल्य दी जाती हैं परन्तु वज़ीफ़े केवल असमर्थ विधवाओं के लिये हैं । स्त्रियों को घर से लाने और पहुँचाने के लिये एक टहलनी भी है ।

उपस्थिति (हाज़िरी)

हाज़िरी कम से कम ५ और अधिक से अधिक १४ तक रही है । महाशयो ! इस उपस्थिति की कमी को सुन कर आप को अवश्य ही दुःख हुआ होगा और इस सभा को भी इस कमी का बहुत शोक है परन्तु उपस्थिति की कमी का एक प्रबल कारण यह भी है कि विधवा और सधवा दोनों प्रकार की भगिनियों का कभी तो पिता के गृह निवास होता है कभी सुसराल कभी ननसाल में चली जाती हैं । इस आने जाने के कारण से भी हाज़िरी में कमी होती रही है ।

विशेष आपत्ति ।

यद्यपि इस सभा के उद्देश्यों में विधवा आश्रम का खोलना निश्चित है, परन्तु धन की कमी के कारण अभी नहीं खोला गया किन्तु खोलने के लिये चन्दे आदि का उद्योग हो रहा है तथापि बाहर वाले सज्जनों को प्रायः यह निश्चय हो गया है कि "आगरे में विधवा आश्रम खुल गया है अथवा आश्रम नहीं है तो भी यदि हम किसी विधवा को

आगरे भेज देंगे तो वहां की कमेटी उस का पालन कर लेगी इत्यादि" अतएव कोई २ दयालु महाशय निस्सहाय आपत्ति ग्रसित विधवाओं को कहीं पाते हैं तो हम लोगों से बिना पूछे भी यहां भेज देते हैं इसलिये पिछले वर्ष कई एक आपत्तिग्रसित निस्सहाय विधवाओं को यहां आश्रम न होते हुए भी पृथक् स्थान किराये पर ले कर रक्खा और अनेक प्रकार की सहायता देनी पड़ी परन्तु आश्रम न होने के कारण इस प्रकार विधवाओं के लिये पृथक् स्थान आदि के प्रबन्ध में सभा का व्यय अधिक हुआ और प्रबन्ध में बहुत ही कठिनाइयां झेलनी पड़ीं ।

ट्रैक्ट ।

इस वर्ष विधवा सहायता की दुहाई नामक ट्रैक्ट दो बार में आठ सहस्र छपवाये और इन में से ३५०० सहस्र ट्रैक्ट तो प्रयाग मेले में शेष आगरा कानपुर आदि विविध नगरों में बांटे गये ।

इस सभा के अधिकारी और सभासद् ।

इस वर्ष निम्नलिखित महाशय इस सभा के पदाधिकारी और सभासद् रहे ।

पदाधिकारी ।

(१) प्रधान श्रीमान् बाबू रामप्रसाद जी बी. ए. वकील
(२) मन्त्री श्रीमान् बाबू इन्द्रभानु जी
(३) उपमन्त्री बाबू निरंजन सिंह जी

सभासद ।

(१) श्रीमान् बाबू प्रयागनारायण जी बी० ए० एल० एल० बी०
(२) श्रीमान् बाबू शालिगराम जी वकील
(३) श्रीमान् बाबू पुत्तूलाल जी वकील
(४) श्रीमान् बाबू रामप्रसाद जी रईस इजेले
(५) श्रीमान् बाबू श्रीराम जी
(६) श्रीमान् बाबू नवमल जी
(७) श्रीमान् बाबू रामेश्वर दयाल जी

(८) श्रीमान् पं० विहारी लाल जी शर्म्मा

(९) श्रीमान् बाबू रामदयाल जी

(१०) श्रीमान् स्वामी मङ्गलदेव जी

अधिवेशन ।

इस वर्ष ९ बार विज्ञापन दिया गया परन्तु ६ अधिवेशन हुए ।

डेपूटेशन ।

सभा की ओर से चन्दा एकत्र करने को स्वामी मङ्गलदेव जी और श्रीमान् बाबू रामप्रसाद जी हजेले ता० १५ जुलाई को कानपुर गये और वहां से ३०३।-) सभा को दान में मिले । इस के लिये कानपुर का आर्य्यसमाज तथा अन्यान्य कानपुर निवासी परोपकारी दानदाता महाशय अत्यन्त धन्यवाद के योग्य हैं ।

धन्यवाद

आगरा निवासी अथवा बाहर वाले महाशय जो कि मासिक चन्दे देते रहे हैं वा एक साथ यथेच्छित द्रव्य दान करते रहे हैं अथवा संस्कारों के समय इस सभा को भी धन से सहायता करते रहे हैं उन का अत्यन्त धन्यवाद है । आगरा स्त्री-समाज को भी, जिस की इस सभा पर विशेष कृपा दृष्टि रहती है, धन्यवाद है । कुछ कुलवती देवियां विशेषतः श्रीमती राधादेवी आदि इस सभा को विशेष सहायता देती रही हैं वे सब भी अत्यन्त धन्यवाद के योग्य हैं ।

मासिक चन्दा ।

आरम्भ में इस सभा का मासिक चन्दा ३५) तक होगया था अब घटते २ आधा अर्थात् १६) वा १७) रुपये के लगभग रह गया है । इस कमी का कारण यह है कि कुछ सहायक महाशयों का तो परलोकवास होगया सभा को उन के वियोग का शोक है और कुछ बाहर चले गये कुछ ने देना बन्द कर दिया इत्यादि ।

अब पुनर्वार मासिक चन्दा बढ़ाने का शीघ्र ही यत्न किया जायगा । आशा है आप सब महाशय इस में अवश्य सहायता देंगे तथा दूसरों से दिलवावेंगे ।

संस्कारों के अवसर का दान ।

विवाह आदि अवसरों का दान इस सभा को अभी बहुत ही कम मिलता है । सभा आशा करती है कि हमारे परोपकारी महाशय दान करते समय इन दीन हीन विधवा भगिनियों के ऊपर भी दया दृष्टि रक्खा करेंगे तथा बिरादरी के मुखियाओं व पंच चौधरी आदि से भी प्रार्थना है कि दानदाताओं को दान के समय इस विधवा फण्ड का भी स्मरण करादिया करें क्योंकि यह काम सर्वथा आप ही लोगों की दया और उदारता से चल सकता है ।

वर्ष भर के सब आय व्यय का सारांश ।

आय	व्यय
५१०।≡)॥। ता० १-१-१० को पिछले वर्ष की बचत में थे ।	३६१॥≡) व्यय सब सन् १९१० का
८८६॥≡) सब आय सन् १९१० की	१०३५≡)॥। शेष ता० ३१-१२-१०
१३९७=)॥।	

द्रव्यरक्षा ।

इस सभा का सब धन अमृतसर बैंक में रहता है ।

पाठशाला की उन्नति का विचार ।

धन की कमी के कारण अभी केवल प्रथम उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये केवल पाठशाला का ही आरम्भ किया गया है । इस पाठशाला की उन्नति के लिये भी बहुत कुछ सहायता की आवश्यकता है । यदि १००) मासिक का प्रबन्ध हो जाय तो इस पाठशाला की यथोचित उन्नति हो सकती है । रुपये की कमी के कारण प्रथम उद्देश्य में वैद्यक विद्या पढ़ाने का काम तो अभी आरम्भ भी नहीं हुआ । यदि हमारे परोपकारी भ्राता और दयावती भगनियां इस सभा को यथोचित सहायता दें तो दस्तकारी और वैद्यक विद्यादि के सिखाने का प्रबन्ध शीघ्र ही हो सकता है ।

पाठशाला का स्थान।

अब तक यह पाठशाला मन्दिर आर्य्यसमाज हींग की मण्डी में है जिस जगह कि पर्दे का काफ़ी इन्तज़ाम किया गया था परन्तु अब समाज मन्दिर बनने वाला है इसलिये पाठशाला के लिये शीघ्र ही कोई योग्य स्थान पृथक् लेना पड़ेगा।

पाठशाला की पढ़ाई।

इस पाठशाला में पढ़ाई फिलहाल चतुर्थ श्रेणी (चौथे दर्जे) तक की रक्खी गई है और वह सरकारी कन्या पाठशालाओं की पढ़ाई (स्कीम) के अनुसार ही होगी।

विधवा आश्रम।

आश्रम खोलने का विषय सभा में कई बार प्रविष्ट हुआ परन्तु शोक से प्रकट करना पड़ता है कि धन की कमी के कारण सभा अभी आश्रम खोलने को प्रस्तुत न हो सकी और यह निश्चय हुआ कि जब तक कुछ दिनों के खर्च लायक द्रव्य पहले एकत्र न हो जाय तब तक आश्रम न खोला जाय और यह भी निश्चय हुआ कि इस फण्ड के लिये बहुत शीघ्रता के साथ विशेष प्रयत्न होना चाहिये इत्यादि परन्तु बाहर से विधवाओं को हमारे यहां भेजने के लिये इस वर्ष कई जगह के पत्र आये किन्तु अभी आश्रम न होने के कारण हमें अत्यन्त दुःख और लज्जा के साथ निराशा का उत्तर लिखना पड़ा। शोक!

महाशयो! क्या आप निस्सहाय विधवाओं की असह्य आपत्ति और आश्रम की महती आवश्यकता पर दृष्टि न देंगे? हमें आशा है कि सम्पूर्ण भारतवासी विशेषतः संयुक्त प्रान्तीय सज्जन अधिक उदारता का परिचय देंगे।

अन्तिम निवेदन।

इस रिपोर्ट को पढ़ कर सम्भव है कि किसी अंश में किन्हीं महाशयों के हृदय में कुछ निराशा हुई हो परन्तु हम लोगों को निराश कदापि न होना चाहिये, जिन लोगों ने संसार में अपना वा पराया कुछ काम किया है वे जान सकते हैं कि नये २ कामों में उलझन और

रुकावटें हुआ ही करती हैं। इस के सिवाय किसी अच्छे काम में विघ्न के डर से निराश होना वेद की आज्ञा और आप के पूर्वजों के इतिहास के विरुद्ध है। सत्पुरुषों का सिद्धान्त है कि:—

विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रति हन्यमानाः। प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति॥

अर्थात् विघ्नों से बार २ क्लेशित होते हुए भी उत्तम पुरुष आरम्भ किये हुए अच्छे कामों को पूर्ण किये बिना नहीं छोड़ते।

आप के कर्त्तव्य।

(१) विधवाओं के साथ सच्ची सहानुभूति का प्रचार करो

(२) ये विधवाएँ सचमुच हमारी भगिनियें हैं। हमारा कल्याण करने वाली हैं। इन को अपना शत्रु मत बनाओ।

(३) यह भी समझ लो कि यदि इन के साथ ऐसी ही बेपरवाही करते रहोगे जैसी कि अब तक होती रही है तो आप को अत्यन्त पछताना पड़ेगा और वह पछताना आप का व्यर्थ होगा क्योंकि यह समय आर्य्य धर्म और आर्य्य जाति के लिये बहुत ही नाज़ुक है अर्थात् पश्चिमीय विचार [ख़यालात] और स्वतन्त्रता (आज़ादी) की प्रबलता ने दुनिया में हलचल मचा दी है। उधर भिन्न मतावलम्बी स्त्रियों को बहकाने में बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। इधर विधवाओं के ऊपर आप की तरफ़ से अत्याचार परम अवधि को प्राप्त हो चुके हैं।

(४) यह एक बात आप के लिये बड़े सौभाग्य की है कि इस समय अंग्रेज़ी सुराज्य में आप अपनी उन्नति स्वतन्त्रता पूर्वक कर सकते हैं। यदि इस समय में भी आपने अपना सुधार, विद्या का प्रचार और भगिनियों का उद्धार न किया तो आप के तुल्य दूसरा कोई भाग्यहीन न होगा अतः इस सुअवसर को हाथ से मत जाने दो।

(५) उद्यमे नैव सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।

अर्थात् उद्यम से कार्य सिद्ध हुआ करते हैं मनोराज्य करने से काम नहीं चलता। यह पुरुषार्थ करने का समय है। इस समय धर्म और विद्या प्रचार के लिये भिन्न २ जातियों का पूर्ण यत्न हो रहा है। आप अपने पड़ोसी मुसलमान भाइयों के पुरुषार्थ की ओर ही दृष्टि दीजिये कि वे लोग अपनी विद्या और शिक्षा तथा सुधार के कामों में कैसी तीव्र गति का अवलम्बन कर रहे हैं।

हम लोगों को उन के मुकाबले पर लज्जा आनी चाहिये। उन का पुरुषार्थ, उन की उदारता, जाति-हितैषिता आपस की सुमति इत्यादि गुण अत्यन्त प्रशंसनीय है। उन में एक आदमी एक काम उठाता है तो सब उस के साथी हो जाते हैं। जो बात एक आदमी कहता है सब के मुख से वही बात निकलती है किन्तु हमारे यहां इस के विपरीत दृश्य देखने में आ रहा है। पुरुषार्थ में हीनता दान में कृपणता प्रेम के बदले में शत्रुता सुमति के बदले में हमें कुमति मिली है। एक आदमी एक अच्छे काम को उठाता है तो दस उस कार्य्य को ध्वंस करने में तत्पर हो जाते हैं। आप को इस विषय में मुसलमानों का अनुकरण करना चाहिये।

(६) धन की सहायता में कमी देख कर पुरुषार्थहीन कभी न होना चाहिये। अभी इस भारत भूमि में माई के लाल सच्चे दानी निर्बीज नहीं हुए किन्तु विधवाओं की विपत्ति का समाचार उन के कर्णगोचर कराना आप का काम है।

(७) हमें धन के साथ ही काम करने वालों की भी अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि इस सभा के दूसरे उद्देश्य की पूर्त्ति के सिवाय विधवाओं के उपकारार्थ अभी बहुत कुछ कार्य्य करने हैं।

(८) विधवा आश्रम की आवश्यकता को आप विशेष रूप से स्मरण रक्खें।

(९) पिछले वर्ष कार्यवाही में हम लोगों से जो कुछ त्रुटि रहीं हों अथवा इस रिपोर्ट में कुछ भूल हो गई हो उसे कृपया सूचित कर के अनुग्रहीत करें।

(१०) अन्त में हम परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि जिस की कृपा से इस शुभ कार्य्य को हम यथाशक्ति कर सके और आगे को विस्तृत रूप में कार्य्य करने को उत्सुक हैं।

ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः

निरञ्जन सिंह वर्म्मा
उपमन्त्री विधवा हितकारिणी सभा
(आर्य्यसमाज आगरा)

विधवा आश्रम की आवश्यकता।

हे दयालु और परोपकारियों के कुल में जन्म लेने वालो हे दीन दुखियों के दुःख पर आंसू बहाने वालो देखो तुम्हारा घर जल रहा है सर्वस्व लुट रहा है लाखों विधवाओं ने बेशर्माई का जामा पहर लिया लाखों मुसलमानी और ईसाइनी बन गईं तथा बनती चली जा रहीं हैं "आंधी के आमों की लूट" का दृष्टान्त आप के सामने है हिन्दुओं में से विधवाओं की नहर कटी चली जा रही हैं कहावत है कि "बुभुक्षितः किन्न करोति पापम्" अर्थात् भूखा आदमी क्या २ पाप नहीं करता जिन देवियों के उदर से अर्जुन सरीखे गौ ब्राह्मणों के रक्षक उत्पन्न होते थे हाय [कहते हुए कलेजा फटता है] आज वे देवियें गौ भक्षक सन्तान को उत्पन्न करने वाली बनाई जाती हैं।

कारण।

इस महा भयङ्कर अनर्थ के दो कारण हैं

पहला कारण मानसिक उद्वेग की प्रबलता * * * *

दूसरा—अन्न वस्त्रादि का कष्ट।

इन में से पहली बात का विचार आप ही पर छोड़ा जाता है किन्तु दूसरे कष्ट को मिटाना और आप को समझाना हमारा लक्ष्य है देखो कुलवती देवियां अन्न वस्त्र के बिना बिलबिला रही हैं और २१ करोड़ आर्य सन्तानों के होते हुए और आप जैसे दानी परोपकारियों के जीवित रहते भी रोटियों के लिये हमारी लाखों भगिनी सदा के लिये धर्म का नाता त्याग कर हम से अलग होती चली जा रहीं हैं क्या हमारे लिये डूब मरने का अवसर नहीं है हमारा धन हमारा साहूकारा हमारी प्रतिष्ठा हमारी दया हमारी विद्या हमारी बुद्धि कब काम आवेगी।

यूरोपियन लोग गिरे पड़े चीथड़े गूदड़ और पुराने जूतों के टुकड़ों के कागज बना कर उन से करोड़ों रुपया कमाते हैं अर्थात् तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी व्यर्थ नहीं खोते परन्तु हम ऐसे मतिमन्द हैं कि मनुष्य जैसे रत्नों से भी कुछ काम न लेकर उन रत्नों (विधवा बहनों) को अपने हाथ से फेंक रहे हैं क्या हम लोग इन विधवाओं का सुधार कर के उन से कुछ भी देशहित का काम नहीं ले सकते ?

योरोपियन लोग जंगली लोगों को भी सभ्य और सुशिक्षित बना रहे हैं और हम अपनी मूर्खता से अपनी सभ्य भगिनियों को असभ्यता की खाई में ढकेलने में तत्पर हो रहे हैं शोक ! शोक !! जो बहनें सन्तोष पूर्वक अपने धर्म को सम्हाल कर निर्धनता वश दुःख भोग रही हैं उन के साथ हमारा यह अन्याय इतनी बेपरवाही धिक्कार !

आप लोग संसार के उद्धार का बीड़ा चबाये फिरते हैं परन्तु अपने घर को जलता हुआ देख कर भी चुल्लूभर पानी नहीं डाला जाता, पशु पक्षियों और कीट पतङ्ग चैंटी आदि जीवों के लिये आप की दया के भण्डार खुले हुए हैं किन्तु दीन दुःखित निर्धन विधवाओं की भूख प्यास की कुछ चिन्ता नहीं यदि किसी से कहो कि "वेश्या नृत्य मत कराओ" तो उत्तर मिलता है कि "हम नाच न करावें तो वेश्याओं का पालन कैसे होगा" हा शोक वंशघातिनी देशविनाशिनी वेश्या की तो इतनी चिन्ता, किन्तु विधवा बहनों की क्षुधा निवृत्ति की कुछ भी परवाह नहीं।

जिह कुल में अबला दुखी लहैं नहीं सन्मान ।
सो कुल विनशै शीघ्र ही मनुस्मृती परमान ॥
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम् । मनु० अ० ३ श्लोक ५७

अर्थात् इस ऋषि-वाक्य की सत्यता प्रत्यक्ष देखने में आ रही है इन अबलाओं के शोक सन्ताप से तुम्हारी अत्यन्त दुर्दशा हो रही है जब तक तुम इन अबलाओं का उद्धार न करोगे तब तक तुम्हारा भी कल्याण न होगा ।

तीर्थों पर जा कर अथवा विवाह आदि शुभ अवसरों पर आप अनेक कार्य्यों के लिये दान देते हैं उस दान में से भीनावलम्बिनी दीन हीन विधवा भगिनियों के निमित्त भी कुछ देना चाहिये, वेश्या नृत्य, भांड़, फुलवाड़ी, आतिशबाजी, बखेर आदि कुरीतियों में प्रति वर्ष करोड़ों रुपया आप व्यय करते हैं अल्पधनी और धनवान् सब के विवाहों का औसत निकाला जाय तो लगभग एक एक सहस्र रुपये के प्रत्येक विवाह में व्यय होता है उस समय दश दश वा पांच पांच रुपये विधवा फण्ड के लिये देने क्या कठिन हैं ? होली तमाशे थियेटरादि में भी आप प्रति वर्ष करोड़ों रुपये व्यय कर डालते हैं इन कामों में कुछ कमी कर के विधवा फण्ड की सहायता करो । यदि कोई छोटा दूकानदार कम से

कम एक धेला नित्य विधवा फण्ड के निमित्त निकालता रहे तो चार आने मासिक हो जाय । छोटे से छोटा दूकानदार भी चार छ आने मासिक ऐसे धूर्तों (मुछचिरे आदिकों) को भीख में देता है कि जिन की दी हुई भीख प्रायः गो मांस भक्षण मद्यपान वेश्या-गमन चर्स व चण्डू पीने आदि अनर्थकारी कामों में व्यय होती हैं। यदि यह भीख विधवा फण्ड में दे दीजाय तो कितना लाभ हो अर्थात् पाप के स्थान में पुण्य और यश की वृद्धि हो और विधवाओं के दरिद्र कट जांय ।

आप ने लाखों मन्दिर और लाखों घाट बनवाये, लाखों कूप तालाब खुदवाये लाखों बाग बागीचे लगवाये, लाखों धर्म्मशाला बनवाईं, लाखों सदाव्रत लाखों क्षेत्र प्रचलित किये तथा नित्यप्रति परोपकार के बड़े २ काम आरम्भ करते रहते हैं। पशुओं के लिये गौशालाएं पिंजरापोलादि बनवाये और बनवाते रहते हैं क्या विधवा भगिनियों को आप पशुओं के तुल्य भी नहीं समझते। क्या आप की कमाई और आप के दान में इन दीन हीन विधवा भगिनियों का कुछ भी स्वत्व (हक़) नहीं रहा । क्या आप एक विधवा आश्रम बनाने के योग्य नहीं रहे, नहीं २ आप सब कुछ कर सकते हैं परन्तु अब तक आप को विधवा आश्रम की आवश्यकता ज्ञात नहीं थी अब समय आ गया कि आप नगर २ में विधवा आश्रम स्थापित करें । आगरे की विधवाहितकारिणी सभा ने विधवा आश्रम खोलने का भार अपने ऊपर लिया है । आप सब महाशय उस में सहायक हो कर पुण्य और यश के भागी बनें ।

दोहा—बहुत दिवस दुर्मति विवश, सोये पांव पसार ।
अब निज दशा सम्हारिये, आलस नींद निवार ॥ १ ॥
अबला तो अबला भईं, तुम्हें सबल प्रभु कीन्ह ।
बनो सहायक निबल के, परम धर्म्म निज चीन्ह ॥ २ ॥

विशेष सूचना

विधवा हितकारिणी सभा के लिये दान इस पते से आना चाहिये ।

श्रीमान् बाबू इन्द्रभानु जी रईस मन्त्री विधवा हितकारिणी सभा (आर्य्य समाज आगरा)

दान दाता महाशय मनीआर्डर पर आर्य्य समाज आगरा अवश्य लिखें अन्यथा मनीआर्डर मिलने में गड़बड़ हो जानी सम्भव है ।

आप का निरंजन सिंह उपमंत्री
विधवा हितकारिणी सभा (आर्य्य समाज आगरा

॥ ओ३म् ॥

लावनी विधवा आश्रम ।

तुम बहुत वर्ष ले चुके वृथा जम्भाई ।
अब विधवा आश्रम वेग बनाओ भाई ॥
जग में अबला कहलावें सब ही नारी ।
पुन विधवा नारी अती निबल बेचारी ॥
हा जहां जहां ये जांय जांय धुत्कारी ।
नहिं दीख पड़त इनका पूरण हितकारी ॥
होचली नष्ट अब ऋषि कुल की प्रभुताई ।
अब विधवा आश्रम वेग बनाओ भाई ॥ १ ॥
है रमाबाई ईसाई धर्म की प्यारी ।
करदिये बीसियों विधवा आश्रम जारी ॥
तहँ भरी जात हैं हिन्दू विधवा नारी ।
वे होंहि सदा के लिये आप से न्यारी ॥
हा अन्न वस्त्र के बिना होंहि ईसाई ।
अब विधवा आश्रम वेग बनाओ भाई ॥ २ ॥
हा किधर गये द्विजकुल के बड़ अभिमानी ।
क्या रहे नहीं अब ऋषी वंश में दानी ॥
क्या नष्ट हुईं हिन्दुओं की सब रजधानी ।
क्या हुए सभी निर्मूल सेठ सेठानी ॥
मर गये किधर पण्डित साधू समुदाई ।
अब विधवा आश्रम वेग बनाओ भाई ॥ ३ ॥
क्या ब्राह्मण कुल निर्बीज हुआ हम जानै ।
क्या क्षत्रिय कुल से शून्य भूमि हम मानै ॥
क्या वैश्य वर्ण को भी निर्वंश बखानै ।
क्या शूद्र वर्ण का दोष अपत उर आनै ॥
मङ्गल सब ही रलमिल कर होहु सहाई ।
अब विधवा आश्रम वेग बनाओ भाई ॥ ४ ॥

सूचना ।

विधवा आश्रम खुल गया ।

आगरा आर्य्यसमाज ने दीन हीन निस्सहाय विधवाओं की रक्षार्थ विधवा आश्रम भी खोल दिया है जिन महाशयों को जहां कहीं कोई निस्सहाय विधवा भगिनी दृष्टिगोचर हो वे सज्जन तत्काल ही उसे हमारे यहां भेजने का यत्न करें। यदि कोई महाशय हमारे यहां तक भेजने में अपने पास से मार्ग व्यय न कर सकते हों तो वे हमें सूचना दें जिस से हम उस (विधवा) को बुलाने में यथाशक्ति उद्योग करें।

मन्त्री विधवाहितकारिणी सभा
(आर्य्यसमाज) आगरा ।

कुं० हनुमन्त सिंह रघुवंशी द्वारा राजपूत ऐंग्लो-ओरियण्टल प्रेस आगरा में छपा